

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-44/2019-20

Syndicate Bank, Chas Branch, Bokaro

बनाम्

Smt. Gauri Sarkar w/o Sri Shankar Lal Sarkar

—: आदेश :-

12.01.2021

प्राधिकृत पदाधिकारी, Syndicate Bank, Chas Branch, Bokaro के द्वारा धारा-14 (1 and 2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 के अन्तर्गत विपक्षी श्रीमति गौरी सरकार पिता श्री शंकर लाल सरकार पता-वंशीडीह, चास नियर शिव मंदिर, चास, बोकारो के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष Syndicate Bank, Chas Branch, Bokaro की ओर से प्रबंधक के द्वारा उपस्थिति दर्ज कर बैंक का पक्ष रखते हुए कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (All the part and parcel of landed property situated at Mauza Chas, Thana No. 30, Khata No. 175, 176 Plot no. 7328, 7420, Area-03 decimal Dist.- Bokaro in the name of Smt. Gauri Sarkar.) को गिरवी रखते हुए बैंक से रुपये 7,00,000.00 (सात लाख) ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत निगमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा-14 (1 and 2) के तहत प्रथम पक्ष के द्वारा विपक्षी के बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इस हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की माँग की गई है।

द्वितीय पक्ष सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित पाये गए। उनके द्वारा अब तक अपने बचाव में किसी भी प्रकार का कारण-पृच्छा भी दाखिल नहीं किया गया है।

प्रथम पक्ष की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अध्ययन से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के

लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी के द्वारा गैर जिम्मेदाराना तरीके से समय आवेदन देना एवं पुकार पर अनुपस्थित रहना तथा अपने बचाव में किसी भी तरह का कारण-पृच्छा दाखिल नहीं किया जाना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, Syndicate Bank, Chas Branch, Bokaro द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।